

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

Email-dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 1396 / 12-1

चम्पावत दिनांक 12-9-2023

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद-अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत जाख से गणाऊ-दाड़िमी तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 0.98 है० वन भूमि प्रस्ताव। लम्बाई- 5.00 किमी० (प्रस्ताव संख्या- 11200/2015)
सन्दर्भ :- आपकी पत्र संख्या-552/7सी० दिनांक 31.03.2023 एवं नोडल कार्यालय के दूरभाष से प्राप्त निर्देशों के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार की पत्र संख्या- 8वीं/यू०सी०पी०/06/2016/2015/एफ०सी०/2454 दिनांक 22.02.2016 से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

भारत सरकार के उक्त पत्र से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में एन०पी०वी० की दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार है-

1. ईको-क्लास श्रेणी	=	V th
2. हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	0.4(40%)
3. एन०पी०वी० की दर (प्रति है०)	=	845000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है०)	=	0.98
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि (रुपये)	=	828100.00
6. पूर्वमेंजमा की गई एन०पी०वी० धनराशि (रुपये)	=	-643860.00
7. वर्तमानमें देय एन०पी०वी० की धनराशि (रुपये)	=	184240.00

(828100-643860.00) एक लाख, चौरासी हजार, दो सौ चालीस मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार/कॉलमवार मय संलग्नक शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

संख्या- / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।